बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई /2025-26/54

आईडीएमडी.आरडी. S390/10.18.060/2025-26

जून 12, 2025

सभी बाज़ार प्रतिभागी

महोदया/ महोदय,

राज्य सरकार प्रतिभूतियों में स्ट्रिपिंग/ पुनर्गठन

कृपया 07 अगस्त 2019 को घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैरा संख्या 1, जो संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य विकास ऋण[1] (एसडीएल) के लिए स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन सुविधा आरंभ करने के प्रस्ताव से संबंधित है, का संदर्भ ग्रहण करें।

2. विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श और बाजार प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसजीएस) में प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह केंद्र सरकार की पात्र दिनांकित प्रतिभूतियों में 1 अप्रैल, 2010 से अनुमति प्राप्त स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के अतिरिक्त होगा। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29 मई, 2025 की संबंधित अधिसूचना संलग्न है।

3. पात्र प्रतिभूतियाँ

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी सभी नियत कूपन प्रतिभूतियां जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता 14 वर्ष तक है तथा स्ट्रिपिंग के दिन न्यूनतम बकाया ₹1,000 करोड़ है, बशर्ते कि ऐसी प्रतिभूतियों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से पात्र निवेश के रूप में माना जाता है तथा वे हस्तांतरणीय हैं।

4. अनुरोध प्रस्तुत करना

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता रखने वाले बाजार प्रतिभागी स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर प्रणाली) में सीधे अनुरोध कर सकते हैं।

[1] राज्य विकास ऋण अब राज्य सरकार प्रतिभूति के रूप में जाने जाते हैं।

आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, 23 वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई- 400 001, भारत
फोन: (022)-22610671; फैक्स: (022)-22644158; ई-मेल: cgmidmd@rbi.org.in
Internal Debt Management Department, Central Office, Central Office Building, 23rd Floor, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai-400 001, India Tel: (022)-22610671; Fax: (022)-22644158, E-mail: cgmidmd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

(ख) गिल्ट खाताधारकों द्वारा स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अनुरोध भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सीएसजीएल खाता रखने वाले अपने संबंधित अभिरक्षकों के पास किया जाएगा और इसके उपरांत, अभिरक्षक, अपने घटकों की ओर से ई-कुबेर में अनुरोध करेंगे।

5. नामकरण

एसजीएस में स्ट्रिप्स के लिए आईएसआईएन और नामकरण, केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में स्ट्रिप्स के समान होगा। इस संबंध में एक उदाहरण अनुबंध में दिया गया है।

6. आरबीआई की 16 अक्टूबर, 2009 और 10 अप्रैल, 2018 की अधिसूचनाओं में निर्धारित सभी अन्य नियम और शर्तें, यथोचित परिवर्तन सहित, एसजीएस में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर लागू होंगी। साथ ही, हमारे 25 मार्च, 2010 के परिपत्र और उसमें संदर्भित किसी अन्य परिपत्र में निहित सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर दिशानिर्देश, समय-समय पर यथासंशोधित, एसजीएस में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर भी लागू होंगे।

7. एसजीएस में स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होगा।

भवदीय,

(राकेश त्रिपाठी)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

अनुबंध

ISIN for STRIPS

Structure:

I	N			M	M	Y	Y				
Country Code		Issuer type/State Code		Month and Year of maturity of the STRIP				Security type	Subsequent Strips/Series serial number		Checksum Digit

Example of an SDL/SGS Principal STRIP maturing in June 2035:

I	N	Y	Y	0	6	3	5	P	0	1	
Country Code		Issuer type/State Code		Month and Year of maturity of the STRIP				Security type	Subsequent Strips/Series serial number		Checksum Digit

Example of an SDL/SGS Coupon STRIP maturing in June 2035:

I	N	Y	Y	0	6	3	5	C	0	1	
Country Code		Issuer type/State Code		Month and Year of maturity of the STRIP				Security type	Subsequent Strips/Series serial number		Checksum Digit

YY: Two-digit distinct code assigned to individual State/Union Territory.

Nomenclature for Coupon STRIPS in SGS

STNAMESGSDDMONYYYYC; where STNAME = State/UT Name, SGS=State Government Security, DDMONYYYY=date of maturity of the STRIPS and C=Coupon STRIP (Illustratively, a coupon STRIP generated from, say, 7.85% MAHARASHTRA SGS 2035 maturing on June 20, 2035, would be written as **MHSGS20JUN2035C**)

Nomenclature for Principal STRIPS in SGS

x.xx% STNAMESGSDDMONYYYYP; where x.xx% is the coupon of the parent security from which the principal STRIP has been generated, STNAME = State/UT Name, SGS=State Government Security, DDMONYYYY=date of maturity of the STRIPS and P=Principal STRIP (Illustratively, a principal STRIP generated from, say, 7.85% MAHARASHTRA SGS 2035 maturing on June 20, 2035 will be written as **7.85%MHSGS20JUN2035P**)